कार्यालय–जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण।
(प्रशासनिक शाखा)

Email-Id- Deosaran.edn@gmail.com
Mobile-no- +918544411907

कार्यालय–आदेश

दिनांक 11.09.2026 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा राजेन्द्र विद्या मंदिर उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय मकेर सारण का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में श्री प्रमोद कुमार सिंह, विशिष्ट शिक्षक, राजेन्द्र विद्या मंदिर उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय मकेर, सारण के द्वारा शिक्षण कार्य में रूचि नहीं लेने, अनुशासनहीनता एवं उद्दंडता परिलक्षित हुई। इस हेतु कार्यालय पत्रांक 1899 दिनांक 12.09.2026 द्वारा श्री सिंह से कतिपय आरोपों के आधार पर 24 घंटा के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। श्री सिंह द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 14.09.2026 को अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया। श्री प्रमोद कुमार सिंह के विरूद्ध प्रथम दृष्टया सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाही, अपने दायित्वों का निर्वहन उचित ढंग से नहीं करना, अनुशासनहीनता, शैक्षणिक कार्य में रूचि नहीं लेना, विभागीय निदेश के अनुरूप कार्य नहीं करना, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना एवं स्वेच्छाचारिता का आरोप प्रमाणित होता है।

उक्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के आधार पर **श्री प्रमोद कुमार सिंह, विशिष्ट शिक्षक, राजेन्द्र विद्या मंदिर उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय मकेर,** सारण को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक (संशोधन) नियमावली–2024 के नियम 11.2 में निहित सुसंगत प्रावधानों के आलोक में तत्काल प्रभाव से **निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जाता है।**

(2) **श्री प्रमोद कुमार सिंह,** का मुख्यालय, प्रखण्ड संसाधन केन्द्र, रिविलगंज, सारण निर्धारित किया जाता है। **श्री प्रमोद कुमार सिंह,** को जीवन–यापन–भत्ता का भुगतान बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक (संशोधन) नियमावली–2024 के नियम 11.5 में निहित सुसंगत प्रावधान के आलोक में निर्धारित मुख्यालय से अनुपस्थिति विवरणी प्राप्त होने पर मूल वेतन और मंहगाई भत्ते के 50% के बराबर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(3) **श्री प्रमोद कुमार सिंह,** के विरूद्ध आरोप–पत्र अलग से निर्गत किया जायेगा।

(4) **श्री प्रमोद कुमार सिंह,** के विरूद्ध गठित आरोपों की जाँच हेतु संचालन पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा सारण एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मकेर, सारण को नामित किया जाता है।

(5) आरोप–पत्र निर्गत होने की तिथि से 45 दिनों के अन्दर संचालन पदाधिकारी विधिवत जाँच प्रक्रिया का संचालन कर विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण (अनुशासनिक प्राधिकार) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(6) आरोपित कर्मी आरोप–पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपना लिखित बचाव अभिकथन साक्ष्य सहित जाँच पदाधिकारी को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0 /–
जिला शिक्षा पदाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 2021 छपरा, दिनांक 24.09. 2026

प्रतिलिपिः– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा सारण–सह–संचालन पदाधिकारी/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सारण/ कोषागार पदाधिकारी सारण/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रिविलगंज सारण–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/प्रखण्ड संसाधन केन्द मकेर, सारण/संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा श्री प्रमोद कुमार सिंह, विशिष्ट शिक्षक, राजेन्द्र विद्या मंदिर उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय मकेर, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
सारण, छपरा 24/09/26

251 Newsletter 2026